

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-06—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.2	आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
6.3	जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
6.4	राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय	तहसीलदार	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस,  
प्रमुख सचिव